न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 43/25 जीसीएमएस : 2025/381

1. देवीलाल पुत्र श्री तेजाराम जाति जाट निवासी कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।

–:प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

–:अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 22.08.2025

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री अरूण भार्मा प्रार्थी अधि.।

––निर्णय––

दिनांक:– 25.03.2026

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिकृति अधिनियम 1955 का अधिनियम सं. 3 की धारा 251–क उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन कर निवेदन किया कि चक 63 आर.बी.बी. तहसील रायसिंहनगर की वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 34/61 मु.नं. 30 प.नं. 179/271 की 0.784 हैक्टर बारानी भूमि व मु.नं. 21 प.नं. 181/270 की 0.557 हैक्टर नहरी बारानी व मु.नं. 6 प.नं. 183/267 की 1.253 हैक्टर बारानी भूमि इस प्रकार कुल तादादी 2.594 हैक्टर नहरी बारानी (2.150 बारानी, 0.444 नहरी) खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में हैं। उपखण्ड रायसिंहनगर के चक 63 आर.बी.बी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 6 प.नं. 183/267 के किला नं. 1/1 की 0.203 हैक्टर में लगे ट्यूबैल से इस किला में से स्वीकृत सड़क के नीचे से प्रार्थी की दूसरी भूमि को सिंचित करने के लिए इस मुरब्बा के किला नं. 1/1 में से स्वीकृत सडक के नीचे से पाईप लाईन डालने की अनुमति चाहता हूँ, जो स्वीकृत फरमाई जावे।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सरकार की तरफ से तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/1563 दिनांक 28.10.2025 की मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट चक 63 आरबी वी के प०न० 183/267 मु0न० 06 किला न० 1/1/0203, 2/0.228, 9/0.253, 10/2/0.228. 11/2/0.038. 12/0.253, 19/3/0.050 कुल 1.253 है० बारानी भूमि देवीलाल पुत्र तेजाराम जाति जाट साकिन कीकरवाली खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। चक 63 आरबी बी के प०न० 183/267 मु0न0 06 किला न0 1–10 प्रत्येक में 0.025 है० गे०मु० रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा अपने रकबे के किला न0 1/1 में टयूबैल से स्वीकृतशुद्धा गै०मु० रास्ता के नीचे से दूसरी भूमि को सिंचित करने के लिए पाईनलाईन डालने की स्वीकृत की मांग की हैं। उक्त गै०मु० रास्ता के नीचे से प्रार्थी को सिंचाई हेतु पाईप डालने की अनुमति दी जानी उचित हैं।
3. बहस वकील प्रार्थी की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौराया एवं कथन किया कि प्रार्थी सिचाई हेतु चक 63 आरबी बी के प०न० 183/267 मु0न0 06 किला न0 1–10 प्रत्येक में 0.025 है० गै०मु० रास्ता दर्ज रिकॉर्ड में से अपने रकबे के किला न0 1/1 में टयूबैल से स्वीकृतशुद्धा गै०मु० रास्ता के नीचे से दूसरी भूमि को सिंचित करने के लिए पाईनलाईन डालने की स्वीकृत की मांग की हैं। यही से पाईप लाईन डालने से पानी कम समय मे खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:42:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

में पहुंच सकता है। अन्य विकल्प से दूरी अधिक पड़ती है। अप्रार्थी की तरफ से तहसीलदार रायसिंहनगर से चक 63 आरबी बी के प०न० 183/267 मु०न० 6 किला न0 1–10 प्रत्येक में 0.025 है० गै०मु० रास्ता के तीन फीट नीचे से प्रार्थी को सिंचाई हेतु पाईपलाईन डालने की अनुमति दी जानी उचित है।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि चक 63 आरबी बी के प०न० 183/267 मु0न0 06 किला न0 1–10 प्रत्येक में 0.025 है० गै०मु० रास्ता के तीन फीट नीचे से प्रार्थी को सिंचाई हेतु पाईपलाईन डालने की स्वीकृति दिया जान उचित हैं। यह कथन तहसीदार की मौका रिपोर्ट में अंकित है प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार रायसिंहनगर की जांच रिर्पोट के तथ्यो के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 क स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 63 आरबी बी के प०न० 183/267 मु0न0 06 किला न0 1–10 प्रत्येक में 0.025 है० गे०मु० रास्ता की भूमि में तीन फुट की गहराई पर पाईपलाईन डालने की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि तहसीलदार रायसिंहनगर पाईप लाईन डालने में उपयोग हुई भूमि का डीएलसी दर का 10 प्रतिशत राशि प्रार्थी से प्राप्त कर (उक्त भूमि गै. मु.रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण) राजकोष के राजस्व मद में जमा करवाने के उपरान्त ही आदेश की पालना करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:42:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner